

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(नवट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, छत्ताखण्ड, देहरादून

संख्या 486/40310/नवट/सिंचाई/आवटन/कैम

दिनांक 18 जुलाई, 2023

कार्यालय फ़ाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 2-11-1/11/2022-11-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 284751/1/134328/2023, दिनांक 04.07.2023 द्वारा अनुदान सं०-20 के राज्य लेखा के मुख्य लेखाशीर्षक 2701 एवं 2711 के विभिन्न मदों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल धनराशि ₹ 9900.00 लाख (रु० नव्यान्वे करोड़ मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वर्तन पर रखते हुए किया गया है।

जिसके सापेक्ष वर्तमान में प्रथम किरत के रूप में आवासीय एवं अवासीय भवनों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत ₹ 430.00 लाख (रु० चार करोड़ तीस लाख मात्र) का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/लेखाशीर्षकवार/योजनावार/खण्डवार निम्नानुसार किया जाता है -

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	मद/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
क	20/2701-मध्यम सिंचाई, 15-आवासीय-अवासीय भवनों का अनुरक्षण, 101- रखरखाव और मरम्मत, 02-अन्य रखरखाव व्यय, 00-, 51-अनुरक्षण कार्य (20/2701-15-101-02-00-51)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, देहरादून	
1	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून	268.00
2	सिंचाई खण्ड, देहरादून	10.00
3	सिंचाई खण्ड, कालसी	2.50
4	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	20.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, देहरादून	300.50
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हरिद्वार	
1	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड, टिहरी	5.00
2	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	10.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हरिद्वार	15.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, श्रीनगर	
1	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	5.00
2	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	5.00
3	सिंचाई खण्ड, चमोली	5.00
4	सिंचाई खण्ड, धराली	5.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, श्रीनगर	20.00
	मुख्य अभियन्ता परिकल्प (स्तर-1), रुड़की	
1	जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद	5.00
2	परिकल्प खण्ड, रुड़की	12.00
3	प्रशासन खण्ड, रुड़की	10.00
	योग मुख्य अभियन्ता-परिकल्प (स्तर-1), रुड़की	27.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर-11, प्रशिक्षण, रुड़की	
1	निर्देशक प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की	5.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-11, प्रशिक्षण, रुड़की	5.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	
1	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	15.00
2	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2	5.00
3	सिंचाई खण्ड, रामनगर	5.00

[Signature]

क्र० सं०	मद/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवृत्ति धनराशि
4	सिंचाई खण्ड, रितारगंज	5.00
5	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	7.50
6	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	5.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	42.50
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, अल्मोड़ा	
1	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	5.00
2	सिंचाई खण्ड, धारचूला	5.00
3	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	5.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, अल्मोड़ा	15.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, यांत्रिक, देहरादून	
1	नलकूप खण्ड, देहरादून	5.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, यांत्रिक, देहरादून	5.00
	कुल योग	430.00

(रु० चार करोड़ तीस लाख मात्र)

उपरोक्त आवृत्ति बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/1.1/11/2022-II-2 Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28475)/I/134328/2023, दि० 04.07.2023 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

1. उक्त धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम पुरानी देनदारियों का निस्तारण किया जाय तथा धनराशि उपलब्ध होने पर ही नई देनदारियां सृजित की जाय।
2. प्रश्नगत धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार किशतों में वास्तविक व्यय के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 आदि के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।
6. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किशतों में किया जाय।
7. अवमुक्त आवृत्ति की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय।